संख्या- 80 /2021/ 1855 /चार-2020

प्रेषक,

डा0 दिनेश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2021**

विषयः- दिनांक 19-25 नवम्बर, 2020 के मध्य लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के आयोजन की कार्योत्तर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3060/ सं0नि0-15(43)/2020-21 टीसी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 19-25 नवम्बर, 2020 के मध्य लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के आयोजन हेतु रू0 6.75 लाख (रूपये छः लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 6.75 लाख (रूपये छः लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन, पुष्टि तथा समस्त बिल-बाउचरों की जॉच करने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(3) उक्त कार्यक्रम में व्यय की गयी धनराशि में वित्तीय नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय के सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी का होगा।

3- उक्त धनराशि रू0 6.75 लाख (रूपये छः लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 दिनेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

संख्या 80 /2021/ 1855 /(1)/चार-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 दिनेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।